तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.05.2026	राजकीय अधिवक्ता उभयपक्ष उप0। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेंट 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत भी एक समानांतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.09.2023 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया है। उक्त अपील को आधारहीन व निष्फल होने के कारण निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करावें। हमने पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो. सं. 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 01 की अनुपस्थिति में एक पक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2022 पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी। साथ ही अपीलांट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.09.2023 द्वारा स्वीकार किये जाने से मूल वाद पुर्नस्थापित हो गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2022 स्वतः ही अपास्त हो चुकी है। चूंकि अपील का मूल विषय–वस्तु स्वयं ही अस्तित्व में नहीं होने से उसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध की हस्तगत अपील सारहीन व औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी बारां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए